आदेश फरम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

धर्मेन्द्र कुमार अकेला पिता स्व0 सुरेन दास, निवास स्थान ग्राम-कटकमसांडी, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-छड़वा, थाना नं0-76, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-781, रकवा-0.02 एकड़ एवं खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-782, रकबा 0.04 एकड़ कुल रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि रेशमी देवी पति गणेश मोची, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-29/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 118/रा0 दिनांक 11.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 112 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा आवेदित भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला संख्या 17737 दिनांक 08.10.2007 एवं केवाला संख्या 17061 दिनांक 21.09.2007 द्वारा आवेदक के पिता सुरेन दास को खरीदगी प्राप्त है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती कायमी धान खेत है। खतियानी रैयत बुरामन चमार हैं। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 0.12 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-53/II एवं पृष्ठ संख्या-52/II में खाता संख्या 05 एवं 24 का जमाबंदी क्रमशः 06डी0 वो 06डी0 का जमाबंदी विक्रेता के पिता सुरेन दास के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2011-12 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत एवं आवेदन में पिता-पुत्र का संबंध है। मौजा-छड़वा में 12डी0 एवं इसके अलावे अपने पैतृक निवास स्थान कटकमसांडी एवं स्थानों में लगभग 1.10डी0 भूमि आवेदक के पास है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.16 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में धर्मेन्द्र कुमार अकेला पिता स्व0 सुरेन दास, निवास स्थान ग्राम-कटकमसांडी, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-छड़वा, थाना नं0-76, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-781, रकबा-0.02 एकड़ एवं खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-782, रकबा 0.04 एकड़ कुल रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि रेशमी देवी पति गणेश मोची, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०) 15/7/23
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

(ह०) 15/7/23
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.17 16:06:13 +05:30
Location: 192.168.43.127